राष्ट्रपति की स्थिति

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। Art 53(1) के अनुसार "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा।"

संविधान के अन्य कुछ अनुच्छेद भी ऐसे हैं जिनके आधार पर बहुत से विचारक राष्ट्रपति को संवैधानिक या नाममात्र का प्रधान मानने को तैयार नहीं है इन विचारकों की मान्यता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक प्रधान बन सकता है, क्योंकि,

→ अनुच्छेद 53(1) के द्वारा राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है

→ Art 74(1) के अनुसार "राष्ट्रपति को अपने कार्यों का सम्पादन करने में सहायता व मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा,"

अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि "प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मन्त्री प्रधानमन्त्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे और वे अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त रहेंगे।"

→ संविधान का अनुच्छेद 78 भी राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान बनाने में सहायक है इस अनुच्छेद के उपबन्ध इस प्रकार है —

(क) प्रधानमन्त्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद के समस्त विनिश्चय और प्रस्तावित विधान सम्बन्धी सूचनाएँ राष्ट्रपति को दे"

(ख) राष्ट्रपति प्रशासन सम्बन्धी व विधान विषयक प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त करना चाहे प्रधानमन्त्री उन्हें प्रदान करें।

②

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मन्त्री ने विनिश्चय का लिया है किन्तु मन्त्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है ~~किन्तु~~ राष्ट्रपति की इच्छा पर प्रधानमन्त्री उसे मन्त्रि-परिषद के विचारार्थ रखें।

→ अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों में भाषण दे सकता है। अनुच्छेद ~~86 (3) ?(2)~~ 86(2) के अनुसार किसी विधेयक के सम्बन्ध में सन्देश या अन्य सन्देश संसद में भेज सकता है।

→ अनुच्छेद 111 के द्वारा राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से एक बार मना कर सकता है।

→ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी इतनी व्यापक है कि उनकी आड़ में राष्ट्रपति वास्तविक शासक बन सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा को किसी न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती है।

→ लोकसभा भंग करने का निर्णय भी राष्ट्रपति से ही होता है।

संविधान के 42वें संशोधन 1976 ने स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान बना दिया है। अब वह मन्त्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। 42 वें संविधान संशोधन के बाद 74 वाँ अनुच्छेद इस प्रकार है: राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं मशवरा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा और राष्ट्रपति उसके सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

परन्तु जनता सरकार ने 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। परन्तु राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति देश का वास्तविक शासक नहीं है जैसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति है। भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह है जो मंत्रिपरिषद को परामर्श, प्रोत्साहन व चेतावनी देता है।

—